कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1456/बदायूँ/23699/2017, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर 28, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषयः बदायूँ में पीलीभीत–बरेली–भरतपुर मार्ग (SH-33) के चैनेज किमी0 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी0 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–1864/14–1, दिनांक 14.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी अभिलेख पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर के साथ नाम, तिथि एवं सील अंकित नहीं है। अंकित करें।

2– बिन्दु–9 के कम में एन0पी0वी0 की संशोधित गणना हो ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नहीं किया गया है।

3– भाग–5 (प्रति संलग्न) को ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड नहीं किया गया है।

4– ऑनलाइन पार्ट–2 में अन्य समस्त अभिलेख यथाः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, प्रभागीय निदेशक, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, एन0पी0वी0 की संशोधित गणना, एन0पी0वी0 की धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता, मक डिस्पोजल योजना, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की उपयुक्तता आदि अभिलेख अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड कर ऑनलाइन पार्ट–2 की प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं/अभिलेखें को पूर्ण करने हेत किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉं इस कार्यालय से प्राप्त करा लें, एवं इंगित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 1456 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त कराकर, संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, बरेली को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बदायूँ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।